राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर
पत्र कमांक : प. 2(8)(4)(सी–विविध) / आ0कृ0 / जांच / 871-995 दिनांक: 04/03/2016

परिपत्र

विभागीय कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसे प्रकरण ध्यान में आये हैं जिसमें कार्मिकों द्वारा विभागीय दिशा–निर्देशों का उल्लंघन, लापरवाही, अनुचित व्यवहार अपनाने पर दण्डित किया गया है। इसकी जानकारी कृषि विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में जिलों में विभागीय योजनाओं के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना व कियान्वयन में लापरवाही न हो–

1. विभाग द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में कृषक हिस्सा राशि के दिशा–निर्देश होते हैं। विभाग द्वारा कार्मिकों द्वारा कृषक हिस्सा राशि एकत्र करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इसके बावजूद भी बारां जिले में वर्ष 2009–10 में पी. एस.बी. कल्चर की आपूर्ति में कृषक हिस्सा राशि फील्ड में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा वसूल की गई। ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया है। कृषक हिस्सा राशि नहीं वसूलने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा कई परिपत्र / आदेश जारी किये जा चुके हैं।
2. विभाग के प्रत्येक कार्मिक द्वारा आचरण नियमों की पालना की जानी आवश्यक है। टोंक जिले में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक द्वारा पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की गई, इसके फलस्वरूप आपराधिक प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कार्मिक को आचरण नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है।
3. भीलवाड़ा जिले में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषि आदानों का वितरण / मिनिकिट का वितरण कर लाभान्वितों की सूची संबंधित को नहीं देकर आम नागरिक को सूची सौंपी गई जिसके फलस्वरूप आपसी रंजिश में ग्राम सेवक का कत्ल हो गया। साथ ही कृषक द्वारा मिनिकिट वितरण के दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की है। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षक को दण्डित किया गया है।
4. प्रदेश में किसानों को वितरित किये जाने वाले मिनिकिट्स एवं प्रदर्शन हेतु प्राप्त आदान वितरण में अनियमितता बरते जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रहती है।
5. सहायक कृषि अधिकारियों / कृषि पर्यवेक्षकों के अपने मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने तथा कृषि तकनीकी ज्ञान का प्रचार–प्रसार नहीं करने की शिकायतों पर भी विभागीय कार्यवाही की गई है।

अतः समस्त खण्डीय व जिला अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इस परिपत्र के माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त विभागीय कार्मिकों को विभागीय योजनाओं के कियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों व आचरण नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द करावें। साथ ही इस बात की सुनिश्चितता भी करें कि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति न हो। इस संबंध में समय–समय पर आयोजित होने वाली मासिक कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों / बैठकों में सभी को अवगत करावें।

(डा0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

पत्र क्रमांक : प. 2(8)(4)(सी–विविध)/आ0कृ0/जांच/ 871-995 दिनांक:04/03/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/एनएमओओपी/समन्वय)मु0।
2. प्रबंधक निदेशक, राज0 राज्य बीज निगम0 जयपुर।
3. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा।
4. निदेशक, समेती (आत्मा), दुर्गापुरा, जयपुर।
5. निदेशक, राज0 राज्य जैविक एवं बीज प्रमाणीकरण संस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
7. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि।
8. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार),जिला परिषद।
9. ए0सी0पी0 कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
10. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)